भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *272

जिसका उत्तर 18.03.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय सुरंग सुरक्षा मानक और नियामक ढांचा

*272 डा. अजित माधवराव गोपछडेः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने मुंबई तटीय सड़क सुरंग में दुर्घटनाओं और तेलंगाना व उत्तराखंड में सुरंग ढहने की घटनाओं सहित सड़क सुरंगों में सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताओं का संज्ञान लिया गया है जिनसे श्रमिकों की जान को खतरा उत्पन्न हुआ है;

(ख) क्या मंत्रालय ने सुरंगों के लिए मौजूदा सुरक्षा मानकों और रखरखाव नयाचार की पर्याप्तता की समीक्षा की है;

(ग) क्या इस संबंध में हांगकांग में अपनाए जाने वाले सुरंग सुरक्षा के प्रबंधन नियमों सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच की गई है; और

(घ) क्या मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से सुरंग सुरक्षा के लिए रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर लागू होने वाले एकसमान राष्ट्रीय विनियम बनाने का विचार रखता हैताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'राष्ट्रीय सुरंग सुरक्षा मानक और नियामक ढांचा' के संबंध में डा. अजित माधवराव गोपछडे द्वारा पूछे गए दिनांक 18.03.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 272 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा मुंबई तटीय सड़क परियोजना में सुरंगों का कार्यान्वयन किया गया है। इसी तरह, तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) सुरंग का कार्यान्वयन, राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड में सिल्क्यारा सुरंग, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) -134 पर है।

एनएच पर सुरंगों का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस संहिता (आईआरसी: एसपी: 91-2019 - सड़क सुरंगों के लिए दिशानिर्देश) में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। श्रमिकों और सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए आईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार उचित सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। निर्माण के दौरान सुरंग ढहने की हाल की घटनाओं के मद्देनजर मौजूदा सुरक्षा मानकों और रखरखाव प्रोटोकॉल की पर्याप्तता की गंभीर समीक्षा की गई है और सुरंग संरेखण अध्ययन, सुरंग ढहने से बचाव और शमन और सुरंगों के जरिए जोखिम वाले माल वाहनों की निकासी के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को कवर करने वाले व्यापक दिशानिर्देश क्रमशः 02.09.2025, 05.12.2025 और 27.01.2026 को जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सुरंग सुरक्षा के लिए व्यापक राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास शुरू किया है। विभिन्न संगठनों के अधिकारी और विशेषज्ञ, इस पहल में सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) के विचार-विमर्श में योगदान दे रहे हैं। इन दिशानिर्देशों को तैयार करने में, सुरक्षित डिजाइन, निर्माण और संचालन / रखरखाव प्रोटोकॉल के संदर्भ में, हांगकांग सहित दस से अधिक देशों के मौजूदा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की व्यापक समीक्षा की गई है।

*****